FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अदालत.......................................मुकाम..

बालाराम ....बनाम.......... हेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा RP आवेदन 111,128 RLR Act नं. 94 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.6.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15.6.2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/6/2020	प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण अनु० प्रार्थी अधिवक्ता की एक पर्चीस पेश हुई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत सटे हुए आए हुए हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में पुरानी मेड़ एवं कांटे बने हुए हैं वह आँधियों की वजह से मिट गए हैं जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इसलिए प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने के लिए निशानदेही करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी ने निशानदेही आवेदन पेश किया गया निशानदेही आदेश किया [illegible] विवेक व्यास 15-6-2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:02:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद/2020/61
प्रार्थीगण
1. बालाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट
निवासी बायतु भोपजी तहसील
जिला बाडमेर

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
का मेडबंदी आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार
बायतु को कमीशन एवं सम्बन्धित भू. अ. निरीक्षक
को सहायक कमीशन नियुक्त किया जाकर
आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक
कमीशन से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की
मेडबंदी मौके पर कमीशन शुल्क 500/- जमा
करवाकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुदा हो दर्ज रजिस्टर
होकर दाखिल दफ्तर हो|

(हस्ताक्षर)
15.6.2020
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:02:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 411

दिनांकः– 15/6/2020

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

1. बालाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. हेमाराम पुत्र हिमथाराम वगैरा निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 94 / 20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बायतु भोपजी पटवार हल्का बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 924 / 337 रकबा 0.0081 हैक्टयेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी **बायतु**

क्रमांक / वाद / 2020 / 412–16

दिनांकः– 15/6/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बालाराम
4. विप्रार्थीगण श्री हेमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

विवेक व्यास 15.6.2020

उपखण्ड अधिकारी **बायतु**

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:02:06 IST
Reason: SelfAttested